भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या – 1099**

(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2013 को दिया गया)

**कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलापों के अंतर्गत हरित पहलों पर व्यय**

**1099. श्री राजीव प्रताप रूडी:**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1. क्या सरकार ने कंपनियों द्वारा अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व की गतिविधियों के हिस्से के रूप में हरित/पर्यावरणीय पहलों पर किए गए वार्षिक औसत व्यय के बारे में कोई आंकलन किया है;
2. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
3. क्या सरकार कंपनियों में कारपोरेट सामाजिक दायित्व के हिस्से के रूप में पर्यावरणीय वहनीयता संबंधी पहलों को बढ़ावा देने लिए कोई उपाय कर रही है;
4. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
5. क्या सरकार कारपोरेट सामाजिक दायित्व के जरिए ग्रामीण ऊर्जा पहुंच और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय कर रही है; और
6. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री सचिन पायलट)**

**(क) और (ख):** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से संबंधित है। इस धारा के तहत किसी वित्त वर्ष में 500 करोड़ रूपए या उससे अधिक के निवल मूल्य अथवा 1000 करोड़ रूपए या उससे अधिक के टर्नओवर अथवा पांच करोड़ रूपए या उससे अधिक के निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी, अपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अनुसरण में, एक कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति गठित करेगी जो उसके कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी गतिविधियों के इस प्रकार निर्वहन की अनुशंसा करेगी कि कंपनी पिछले लगातार तीन वर्षों के दौरान अपने औसत निवल लाभ का न्यूनतम 2% कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय करेगी। अधिनियम की धारा 135 अभी लागू नहीं हुई है और इसलिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी गतिविधियों पर व्यय संबंधी कोई सूचना इस मंत्रालय में नहीं है।

**(ग) से (च):** अधिनियम की अनुसूची-VII में सूचीबद्ध कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीतियों में कंपनियों द्वारा शामिल किए जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की सूची में “पर्यावरणीय सुस्थायित्व सुनिश्चित करना” शामिल है।

\*\*\*\*\*